

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 356] No. 356]

नई दिल्ली, सोमबार, अगस्त 7, 2006/श्रावण 16, 1928 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2006/SRAVANA 16, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 464(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) को धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2006 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची । में,
 "डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटो के लिए शोर सीमा" से संबंधित क्रम सं. 94 के पैरा 4.0 में "30 जून, 2006" शब्द और अंकों के स्थान पर "30 अप्रैल, 2007" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. क्यू.-15022/2/2001-सी.पी.ए.] आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका सा.का.नि. 315(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2006

- G.S.R. 464(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—
- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 94 relating to 'Noise Limit for Generator Sets run with Diesel', in paragraph 4.0, for the words, letters and figures "30th June, 2006", the words, letters and figures "30th April, 2007" shall be substituted.

[F. No. Q.-15022/2/2001-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secv.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended lastly vide G.S.R. 315(E), dated 16th May, 2005.